राजस्व वाद संख्या:– 63/2020
प्रताप सिंह वगै0 बनाम इन्द्राज वगै0
निर्णय दिनांक:– 20.09.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 63/2020

1. प्रताप पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी भावठड़ी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. होशियार सिंह पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी भावठड़ी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी भावठड़ी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. रामस्वरूप पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी भावठड़ी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. सत्यवीर पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी भावठड़ी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
4. पंजाब नैशनल बैंक शाखा सूरजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

:: निर्णय ::

दिनांक – 20.09.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि भूमि खेत खसरा न0 145 रकबा 8.31 है0 स्थित मौजा ग्राम भावठड़ी तहसील सूरजगढ़ से नामान्तकरण संख्या 1853 के द्वारा बने हाल खसरा न0 1332/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1333/145 रकबा 0.56 है0, खसरा न0 1334/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1335/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1336/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1337/145 रकबा 1.55 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 8.31 है0 स्थित ग्रम भावठड़ी को वादीगण के अधिकारों पर शून्य घोषित करते हुये उक्त भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 की सयुक्त खातेदारी में दर्ज किया जाकर नजरी नक्शे में दर्शित हिस्सेनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना फरमाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 के मध्य नजरी नक्शे में दर्शित हिस्सेनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग खाते दर्ज किया जावे तथा वादीगण के हिस्से में आई भूमि पर पक्षकारान का अलग–अलग कब्जा करवाया जाना फरमाया जावे तथा भूमि का लगान भी अलग–अलग कायम किया जाना फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with Oken Scanner

(ख) यह कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में कोई दखलदांजी नहीं करें।

(ग) यह कि अन्य सिद्वी जो बहक वादीगण से भूल या गलती से चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फायदा देकर दिलवाया जावें।

(घ) यह कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 03 की ओर से श्री सुरेश कुमार एड0 की ओर से वकातनामा पेश किया गया। वकील पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमती व्यक्त की तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 का राजीनामा, विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा न0 145 रकबा 8.31 है0 स्थित मौजा ग्राम भावठड़ी तहसील सूरजगढ़ से नामान्तकरण संख्या 1853 के द्वारा बने हाल खसरा न0 1332/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1333/145 रकबा 0.56 है0, खसरा न0 1334/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1335/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1336/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1337/145 रकबा 1.55 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 8.31 है0 स्थित ग्रम भावठड़ी में वादीगण एवं प्रतिवादी न0 01 लगायत 03 को प्रत्येक को 1/5 – 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्याः– 63/2020
प्रताप सिंह वगै0 बनाम इन्द्राज वगै0
निर्णय दिनांकः– 20.09.2022

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :–

राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 63/2020

निर्णय दिनांक :– **20-09-2022**

प्रताप सिंह वगै0 **बनाम** इन्द्राज वगै0

दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री रामेश्वर दयाल** एड0 व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 की ओर से श्री सुरेश कुमार एड0 की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 20.09.2022 को राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा न0 145 रकबा 8.31 है0 स्थित मौजा ग्राम भावठड़ी तहसील सूरजगढ़ से नामान्तकरण संख्या 1853 के द्वारा बने हाल खसरा न0 1332/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1333/145 रकबा 0.56 है0, खसरा न0 1334/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1335/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1336/145 रकबा 1.55 है0, खसरा न0 1337/145 रकबा 1.55 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 8.31 है0 स्थित ग्रम भावठड़ी में वादीगण एवं प्रतिवादी न0 01 लगायत 03 को प्रत्येक को 1/5 – 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **20.09.2022** को मेरे हस्ताक्षर से आर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner